निश्चित तिथि :— 10—9—2024

नियम—62 के अन्तर्गात प्राप्त प्रस्ताव/नोटिस से सम्बन्धित दैनिक संख्या:14/6/101 के अन्तर्गत सुश्री अनुराधा राणा, माननीय विधायक (लाहौल एवं स्पीति) द्वारा उठाया गया मामला।

'विद्यालयों के विलयकर्ण के संदर्भ में ।

जनजातीय जिला लाहौल एव स्पीति की विकट परिस्थितियों के मद्देनजर विद्यालयों के विलयकर्ण में रियायत देने के लिए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। '

मननीय अध्यक्ष महोदय,

मामले की वस्तुस्थिति इस प्रकार से हैः—

सरकार द्वारा दिनांकः 17.08.2024 को जिला लाहौल एवं स्पीति में स्थित 12 प्राथमिक एवं 01 माध्यमिक पाठशाला को 5 या 5 से कम नामांकन होन के कारण निकटतम पाठशालाओं जिनमें 05 से अधिक नांमांकन है, में मर्ज किया है।

सरकार के ध्यान में लाहौल—स्पीति जिला एवं अन्य जनजातीय क्षेत्रों की भारी वर्फबारी एवं हिमस्खलन की सम्भावना वाली ऐसी अनेक अन्य पाठशालाएं भी थीं जिनमे विद्यार्थियों का नामांकन शून्य अथवा 5 से कम था । सरकार द्वारा इन क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत इन पाठशालाओं को फिलहाल बंद न करने का निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा ऐसी सभी पाठशालाओं पर पृथक रूप से मामलावार गुण—दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, जिला लाहौल एवं स्पीति में 121 ऐसे प्राथमिक स्कूल हैं जिनमें बच्चों की संख्या 5 या 5 से कम है। सरकार ऐसी स्थिति में Residential Schools की सम्भावना को तलाशने पर भी विचार कर रही है।

***